कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
जिला – सुकमा(छ0ग0)

E.Mail ID - cmho.sukma@gmail.com/ Fax no - 07864-284278

क्रमांक/2185/मु.चि.अ./स्था./डी.एम.एफ. विज्ञापन/2025 सुकमा, दिनांक 08/08/2025

विज्ञापन

जिला सुकमा अन्तर्गत जिला चिकित्सालय सुकमा/विकासखण्ड कोण्टा/छिन्दगढ़/सुकमा को चिकित्सा सुविधा को सुदृढ़ करने के लिए लैबटेक्निशियन/फार्मासिस्ट ग्रेड 02, रेडियोग्राफर/वाहन चालक की स्थानीय व्यवस्था के तहत् जिला प्रशासन के डी.एम.एफ. मद के अन्तर्गत नियुक्ति चल साक्षात्कार/मेरिट/लिखित परीक्षा के आधार पर संविदा भर्ती किया जाना है। जिसके लिए विज्ञापन प्रसारण तिथि 08-08-25 से दिनांक 18-08-25 को सायं 5.30 बजे तक कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जिला–सुकमा के (पते पिन - 494111) पर निर्धारित प्रपत्र में आवेदन कर सकते है। रिक्त पदों का निर्धारित अर्हताकारी योग्यता एवं विवरण निम्नानुसार है–

क्र0	पदनाम	आवश्यक अर्हता	प्रस्तावित मानदेय प्रतिमाह	कुलविज्ञापित पद	अजजा	अजा	ओबीसी	अनारक्षित
1	चिकित्सा अधिकारी	MBBS	98000	01	0	0	0	01
2	लैबटेक्निशियन	12th pass +D.MLT	15000	09	3	1	3	2
3	फार्मासिस्ट ग्रेड–02	12th +D.Pharma/B. Pharma	15000	06	2	0	2	2
4	रेडियोग्राफर	12th pass X-RAY	15000	03	1	0	1	1
5	वाहन चालक	8th pass + heavy driving licence	12000	04	2	0	1	1
कुल योगः–				**23**	**8**	**1**	**7**	**7**

1. विज्ञापन के संबंध में आवेदन का प्रारूप, नियम एवं शर्ते तथा अन्य विस्तृत जानकारी जिला सुकमा के वेबसाईट www.sukma.gov.in में देखा जा सकता है।
2. आवेदन केवल डॉप (स्पीड पोस्ट) पर ही निर्धारित प्रपत्र में स्वीकार किये जाएंगे।

8/8/2025

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
जिला सुकमा (छ0ग0)

नियम एवं शर्तें :–

1. यह नियुक्ति, न ही नियमित है और न संविदा है। यह नियुक्ति केवल स्थानीय व्यवस्था के तहत् आपातकालीन चिकित्सा व्यवस्था के लिए की जा रही है, इनके स्थान पर नियमित/संविदा नियुक्ति हो जाने पर यह नियुक्ति स्वतः समाप्त हो जाएगी।
2. यह नियुक्ति उपस्थिति दिनांक से एक वर्ष के लिए की जा रही है, कार्य संतोषजनक होने की स्थिति में ही सेवा वृद्धि दी जा सकती है। तथा कार्य संतोषजनक नही होने पर किसी भी समय सेवा समाप्ति करने हेतु शासन पक्ष स्वतंत्र होगा।
3. उक्त पदों के भर्ती में मातृत्व एवं पितृत्व आवकाश की पात्रता नही होगी। उक्त अवधि में अवैतनिक अवकाश प्रदाय की जावेगी।
4. मानदेय – सेवा अवधि के दौरान प्रतिमाह एकमुश्त मानदेय देय होगा इसके अतिरिक्त किसी अन्य प्रकार के भत्ता/सी.आर.एम.सी. सुविधा देय नहीं होगा।
5. सेवा समाप्ति के पूर्व किसी भी समय किसी भी पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस अथवा नोटिस के स्थान पर एक माह का वेतन जमा कर/देकर सेवा समाप्त की जा सकती है।
6. लगातार एक माह से अधिक अवधि तक अनुपस्थित रहने पर सेवायें स्वतः समाप्त मानी जावेगी।

चयन प्रक्रिया एवं दिशा–निर्देशः–

1. आवश्यक योग्यता विवरण निम्नानुसार है–

- शैक्षणिक योग्यता – 70 अंक।
- अनुभव (प्रतिवर्ष)02 नम्बर) – 10 अंक।
- चल साक्षात्कार – 20 अंक।
- निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के प्रत्येक वर्ष की अंक सूची।
- निर्धारित वांछनीय शैक्षणिक योग्यता की अंकसूची।
- छ.ग. काउंसिल का जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र जिन पदों हेतु लागू है, संलग्न करना अनिवार्य है।
- जीवित रोजगार पंजीयन अनिवार्य।
- संबंधित कार्य का अनुभव प्रमाण पत्र यदि हो तो (अनुभव की अवधि का स्पष्ट उल्लेख नही होने पर अनुभव प्रमाण पत्र अमान्य किया जावेगा।
- पहचान पत्र (आधार कार्ड, वोटर आई डी, पास पोर्ट पेन कार्ड, ड्रायविंग लॉयसेंस)।

2. उपरोक्त समस्त दस्तावेज प्रस्तुत नही करने पर परीक्षण के दौरान अथवा नियुक्ति उपरान्त किसी भी प्रकार से दस्तावेजों के असत्य पायें जाने पर अभ्यर्थी की नियुक्ति अमान्य की जा सकेगी।
3. छत्तीसगढ़ राज्य के अभ्यर्थी को शैक्षणिक योग्यता तथा अनुभव के आधार पर चयन किया जायेगा।
4. छत्तीसगढ़ राज्य स्तर के अभ्यार्थियों को ही चयन किया जायेगा।
5. मेरिट सूची में समान अंक होने की स्थिति में जन्मतिथि के आधार पर वरिष्ठता का निर्धारण किया जाएगा।
6. एक या एक से अधिक पदों हेतु इच्छुक उम्मीदवार को प्रत्येक पद के लिए अलग–अलग आवेदन जमा करना होगा।
7. आवेदक के साथ संलग्न दस्तावेजों व प्रमाण पत्रों की मूल प्रति दस्तावेज सत्यापन हेतु अपने साथ अनिवार्यतः प्रस्तुत करना होगा।
8. उक्त पदों पर 01 वर्ष के लिए नियुक्ति दी जाएगी एवं मानदेय प्रतिमाह एकमुश्त देय होगी।
9. उक्त पदो के भर्ती के लिए आयु सीमा न्यूनतम 18 वर्ष तथा अधिकतम 60 वर्ष होगी।
10. मात्र आवेदन करने पर ही किसी का चयन सुनिश्चित नहीं होगा। अंतिम चयन सूची जारी करने के पूर्व मूल प्रमाण पत्रों की जॉच की जाएगी, इसमें सही नहीं/त्रुटिपूर्ण पाये जाने पर नियुक्ति निरस्त करने का सर्वाधिकार चयन समिति के पास सुरक्षित होगा।
11. आवेदन पत्र के उपर आवेदित पद का नाम अवश्य लिखें। अपूर्ण एवं समय–सीमा के बाद प्राप्त आवेदन पत्र को स्वीकार नही किया जावेगा।

8/8/2025

12. उक्त पद के लिए पदवार प्रतीक्षा सूची भी जारी की जाएगी जिसकी वैधता जारी दिनांक से 01 वर्ष अथवा आगामी भर्ती से हाने वाले तक जो भी पहले हो वैध होगा।
13. प्राप्त आवेदनों पर चयन समिति दिशा–निर्देश अनुसार लिखित परीक्षा आयोजित किया जायेगा।
14. चयन प्रक्रिया में किसी भी चरण मे यह पाया जाता है कि उम्मीद्वार के द्वारा किसी भी प्रकार से दबाव डलवाया जा रहा है या निष्पक्ष चयन प्रक्रिया को प्रभावित करने का प्रयास किया जा रहा है। तो उनका आवेदन पत्र अमान्य कर दिया जाएगा तथा इस संबंध मे कोई दावा मान्य नहीं किया जाएगा।
15. ऐसे अभ्यर्थी जिनकी सेवा अनुशासनहीनता/वित्तीय अनियमितता/अनुचित व्यवहार के कारण किसी भी शासकीय विभाग द्वारा की गई हो, चाहे वो किसी भी पद पर रहें हों। उन्हें अपात्र उम्मीद्वार की संज्ञा में रखा जएगा। चयन/नियुक्ति उपरान्त भी उक्त कंडिका लागू होगी।
16. संविदा नियुक्ति शासन द्वारा जारी छत्तीसगढ़ सिविल सेवा **(संविदा नियुक्ति) नियम 2012) में** निहित शर्तो के अनुसार की जावेगी।
17. भर्ती की प्रक्रिया के दौरान होने वाले किसी भी विवाद या समस्या पर अंतिम निर्णय लेने का सर्वाधिकार चयन समिति को होगा जो सभी आवेदकों को मान्य होगा।
18. चयन समिति के द्वारा उक्त पदो की संख्या आवश्यकतानुसार बढाई या घटाई जा सकती है।
19. अभ्यार्थियों का चयन वांछनीय आर्हता/शैक्षणिक योग्यता+अनुभव के अंक (जिस पद हेतु लागू हो) अंको के योग मेरिट आधार पर किया जायेगा।
20. उक्त पदों में यदि किसी भी पद के लिए संबंधित वर्ग के अभ्यार्थी नही मिलने के स्थिति में अजजा वर्ग से भर्ती किया जावेगा।

(कलेक्टर महोदय द्वारा अनुमोदित)

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
जिला – सुकमा (छ.ग.)